न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 43/2025

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर। ....**प्रार्थी**

बनाम

श्री रमेशचन्द्र बच्चानी पुत्र मिरचूमल बच्चानी
मैसर्स नमन जूस सेन्टर, बस स्टेण्ड, श्रीनगर, थाना श्रीनगर

.....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 15.10.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.04.2025 को विभागीय निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध दुरूपयोग एवं गैस रिफलिंग रोकथाम अभियान के तहत जांच दल नमन जूस सेन्टर, बस स्टेण्ड, श्रीनगर पहूँचे। जांच दल में रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, सोनल गर्ग प्रवर्तन निरीक्षक, राहुल वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर 01 घरेलु एलपीजी सिलेण्डर का व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा एल.पी. जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी की अवलहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर जाटोलिया भारत गैस एजेन्सी, का कामिक श्री नरेन्द्र भाटी पुत्र बद्रीलाल भाटी, लोहागल अजमेर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	623754	BPCL	15.3	15.3	0

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर । पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर पेरोकार सरकार को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 03.04.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 03.04.2025 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 01 घरेलू गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर
अजमेर